

## आदेश

अधिवक्ता प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर घोषणा आश्रय की जाती है कि राजस्व ग्राम जोधा का बास पटवार हल्का नारी की सीव में भूमि खाता संख्या-नया 111 के खसरा नम्बर 493 रकबा 0.48 हेक्टर, खसरा नम्बर 499 रकबा 0.700 हेक्टर, खसरा नम्बर 513 रकबा 0.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 534 / 1 रकबा 1.95 हेक्टर कुल कितता 4 कुल रकबा 3.20 हेक्टर, स्थित है। जिसमें वादी का हक व हिस्सा 1 / 16 है, जिसका रिकार्ड खातेदारी वादी का नाम कैलाश पुत्र बसेसरलाल के स्थान पर कमलेश शर्मा पुत्र विश्वेश्वर शर्मा दुरुस्त किये जाने के आदेश दिया जाता है। खाते के शेष इन्द्राजात यथावत रहेंगे। तहदनुसार तहसीलदार चिड़ावा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। पत्रावली फ़ैशल शुमार नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ़तर हो।

(डा० संदेश खानी)  
उपखंड अधिकारी चिड़ावा

यह निर्णय आज दिनांक 10/11/25 को मेरे द्वारा पृथक से टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा० संदेश खानी)  
उपखंड अधिकारी चिड़ावा